प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन सरकारी उपक्रमों और सांविधिक निगम की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंध रखता है तथा समय-समय पर संशोधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(क) के अंतर्गत झारखण्ड सरकार के समक्ष प्रस्तुति हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखापरीक्षा परिणाम अलग से प्रस्तुत किया गया है।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है। राज्य के सांविधिक निगम की लेखापरीक्षा संबंधित विधायिका के द्वारा शासित होती है।

3. इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं जो वर्ष 2012-13 के दौरान लेखों की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आए, साथ-साथ वे जो पूर्व के वर्षो में ध्यान में आए किंतु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके। 2012-13 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझे गए, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

4. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।